

आदेश - फलक  
(देखें अभिलेख हस्ताक, 1942 का नियम - 129)

सरकार  
बनाम  
पारसनाथ साहु वगै०

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला - गुमला

वाद सं० :- 16 / 2020-21

वाद का प्रकार :- अधिहरण (Confiscation)

### आदेश


अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अधीक्षक, गुमला के पत्रांक-1616(A)/अप० शा० दिनांक-25.07.2020 द्वारा पुसो थाना काण्ड सं०-15/2019 दिनांक-01.07.2019 धारा-379/414 भा०द०वि० एवं 54(5) झारखण्ड लघु खनिज समानुदान संशोधन नियमावली- 2017 एवं 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन एवं भण्डारण नियम-2017 तथा 9 झारखण्ड पारागण विनियमन अधिनियम-2005 के आलोक में चोरी कर अवैध रूप से बालू का उठाव कर ले जाने के आरोप में जप्त ट्रैक्टर नं०-JH08C-4238 डाला सं०-JH08C-4239, महिन्द्रा- B275DI चेचिस नं०-MBNABAEXPHRLO-0522, महिन्द्रा- B275DI इंजन नं०- RJJ2DBNO-6026 चेचिस नं०- MBNAAA-DAPJRJO-2248, महिन्द्रा- B275DI इंजन नं०- RKM2DIBN-1934 चेचिस नं०- MBNAAA-DAPKRMO-2866 को राजसात की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्राप्त है।


उपरोक्त अधिहरण वाद सं०-16/2020-21 व्यवहार न्यायालय में लंबित होने के कारण संबंधित न्यायालय में वाद का निष्पादन पूर्ण होने तक वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

पुलिस अधीक्षक गुमला/सहायक लोक अभियोजक, गुमला को निदेश दिया जाता है कि व्यवहार न्यायालय में वाद का निष्पादन होने की सूचना अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपलब्ध करायी जाय, ताकि संबंधित न्यायालय द्वारा पारित आदेश के उपरान्त उक्त वाद पर पुनः सुनवाई हेतु आवश्यक कार्य की जा सके।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक गुमला/सहायक लोक अभियोजक, गुमला को भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

  
11.06.22  
उपायुक्त,  
गुमला

  
11.06.22  
उपायुक्त,  
गुमला